Order Sheet [Contd] _Case No 203/2017 बी.ए

	Case No 203	5/ 2017 91.5
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
31-05-17	आवेदक / आरोपी शैलू उर्फ शैलेन्द्र की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आपत्तिकर्ता की ओर से श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप०क् 111/17 धारा 354 मा.द.वि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० के संबंध में उभय पक्ष को सुना गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रमुख आधार यह लिया गया है कि आवेदक/आरोपी शैलू 18 वर्ष से कम आयु का है, इस संबंध में उनकी ओर से शासकीय माध्यमिक विद्यालय हवीपुरा गोहद जिला भिण्ड का कक्षा 6 का परिचयपत्र एवं वर्ष 2013—14 का कक्षा 8 का प्रगति पत्रक की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें आवेदक/अभियुक्त की जन्मतिथि 01. 06.2001 दर्शाई गई है। अभियुक्त 18 वर्ष से कम आयु का है अथवा नहीं सर्वप्रथम इसकी जाँच आवश्यक है। तत्पश्चात् ही आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन सुना जाए अथवा नहीं इस पर विचार किया जाना संभव हो पाएगा। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर वल दिया है कि उनके द्वारा थाना गोहद में आरोपी के कम आयु के होने संबंधी आवेदन एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है, किन्तु उसके उपरांत भी थाना गोहद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। केश डायरी में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं है कि आरोपी की ओर से उसकी कम आयु के होने संबंधी कोई आवेदन अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किये गए है। अतः पुलिस थाना प्रमारी गोहद को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की आयु के संबंध में जॉच करें, तत्पश्चात् जैसी भी परिस्थिती बनती है योग्य कार्यवाही करे। उक्त निर्देश के साथ आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र बिना	MATERIA
	गुण दोष के निरस्त किया जाता है। आवश्यकता पडने पर यदि	

